रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-120/2019/2147/22-2-2019-17(789)/2019

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती (02 अक्टूबर 2019) के अवसर पर जिला कारागार, मुरादाबाद** में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष **बन्दी नावेद उर्फ जावेद (बन्दी संख्या-165/2017) पुत्र श्री शाहिद**, जो-अकबर कोट कबूतर बिकने वाली जगह हाल मियासराय, थाना-कोतवाली, जनपद-सम्भल का रहने वाला है, जिन्हें अ0सं0-172/16, वाद सं0-2449/16 धारा-380, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास एवं 5,000/- अर्थदण्ड, अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-79/2016, वाद सं0-2445/2016 धारा-380, 411, भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास एवं 3,000/- रू0, अर्थदण्ड, अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-173/16, वाद सं0-2149/16 धारा-380, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष कारावास एवं 3,000/- रू0, अर्थदण्ड, अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-84/16, वाद सं0-2434/16 धारा-380, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास एवं 2,000/- अर्थदण्ड, अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-142/16, वाद सं0-2478/16 धारा-380, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास एवं 2,000/- अर्थदण्ड, अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-08/16, वाद सं0-2479/16 धारा-380, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास एवं 2,000/- अर्थदण्ड, अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास, अ0सं0-29/16, वाद सं0-1199/18 धारा-379, 411 भा0द0वि0 में 02 वर्ष 07 माह कारावास एवं 5,000/- अर्थदण्ड, अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के आदेश दिनांक क्रमश: 25.09.2017, 27.10.2017, 27.10.2017, 24.11.2017, 24.11.2017, 24.11.2017 एवं मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा के आदेश दिनांक 02.11.2018, द्वारा दण्डित किया गया है तथा जिनके द्वारा दिनांक 05.04.2019 तक 13 वर्ष 04 माह 16 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है जो कुल दी गयी सजा के 66 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-120/2019/2147(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।

3- पुलिस अधीक्षक, सम्भल।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।